न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला–सलूम्बर

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 40 / 2023 प्रा.प.

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023 / 20

उनवान

1. श्री प्रकाशचन्द्र पिता रतनलाल जी दोशी, जाति महाजन (जैन), बालिग वर्ष, निवासी सेरिया, तहसील सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)

–प्रार्थी

विरूद्ध

1. श्री तुषार कुमार पिता रविशंकर जी भीमावत, उम्र बालिग, जाति ब्राह्मण, निवासी सेरिया, तहसील सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)
2. श्री योगेश कुमार जोशी पिता रविशंकर जी भीमावत, उम्र बालिग, जाति ब्राह्मणा, निवासी सेरिया, तहसील सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)
3. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब, सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 39 नियम 1 व 2 जा.दी.

–::निर्णय::–

दिनांकः– 19/05/2026

उपस्थितिः श्री दिनेश कुमार जैन अधिवक्ता – प्रार्थी
श्री गोपाल चौबिसा अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 1, 2

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 39 नियम 1 व 2 सी. पी. सी. का प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम सेरिया पटवार हल्का सेरिया भू०अ०नि० सेरिया तह. सलुम्बर जिला उदयपुर (राज) के संवत 2035 से 2038 की जमाबन्दी अनुसार खाता सं. 572 अनुसार वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी के पिता स्व. रतनलाल जी पिता चोखचंद जी महाजन के खाते दर्ज थी, जो प्रार्थी के कब्जे काश्त में आज दिन तक बेरोकटोक चली आ रही है, निम्नलिखित कृषि भूमि निम्नानुसार खाते दर्ज थी। जिसका विवरण निम्न है– संवत 2035 से 2038 खाता सं. 572 आराजी नम्बर 3338 रकबा 12 बिस्वा, 3309 रकबा 5 बिस्वा, 1438 रकबा 3 बिस्वा, 1439 रकबा 1 बिस्वा, 1440 रकबा 3 बिस्वा, 5383 रकबा 17 बिस्वा, 3311 रकबा 11 बिस्वा, 3681 रकबा 4 बिस्वा, 3684 रकबा 7 बिस्वा, 3685 रकबा 9 बिस्वा, 3686 रकबा 2 बिस्वा, 3626 रकबा 7 बिस्वा, 3688 रकबा 5 बिस्वा, 4636 रकबा 3 बिस्वा, 4637 रकबा 7 बिस्वा, 3687 रकबा 4 बिस्वा, 5386 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 17 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

प्रार्थी के उक्त खाते अनुसार भूमि कब्जे काश्त चली आ रही थी जिसका दौराने बन्दोबस्त (सेटलमेन्ट) संवत 2087 में पर्चा खतौनी अनुसार सेटलमेन्ट अधिकारी ने जानबुझकर, नाजायज लाभ प्राप्त कर बिना किसी विधिक अधिकार के प्रार्थी के खाते से आराजी नम्बर 3687 रकबा 4 बिस्वा भूमि का नया नम्बर नहीं बनाकर प्रार्थी के खाते से भूमि अकारण कम कर दी तथा उसी समय विपक्षीगण के पूर्व खातेदार श्री हेमराज पिता शंकर जी भैयावत तड सोमावत निवासी सेरिया के खाते की भूमि में 4 बिस्वा बढ़ा दी जिसका कोई वाजिब कारण बन्दोबस्त अधिकारी के पास नहीं था। बन्दोबस्त अधिकारी ने प्रार्थी के खाते से भूमि कर दी तथा विपक्षीगण के पूर्व खातेदार के खाते में भूमि बढ़ा दी जो उनको करने का अधिकार नहीं था. उक्त बात का प्रथम दृष्टया प्रमाण पर्चा खतौनी जो सेटलमेन्ट अधिकारी द्वारा बनाई गई है जिसमें प्रार्थी के पिता रतनलाल जी की पर्चा खतौनी पर आराजी नं. 3687 खाते में दर्ज नहीं की है, जिसकी जानकारी मिलानकर्ता / जांचकर्ता अधिकारी को हो गई थी जिसने पर्चा खतौनी पर आराजी नं. 3687 बाबत् अंकन भी किया है इस प्रकार उक्त बात भली भांति स्पष्ट है कि आराजी नं. 3687 की भूमि प्रार्थी के खाते दर्ज नहीं की गई थी। जो प्रार्थी को वर्तमान मौका अनुसार तथा वर्तमान मिलान क्षेत्रफल के अनुसार बने आराजी नम्बर 5612 रकबा 0.04 हेक्टर भूमि प्रार्थी के खाते किये जाना आवश्यक है, इसलिये यह घोषणा एवं इन्द्राज दुरस्ती का यह वाद पेश है।

वादग्रस्त वर्तमान आराजी नं. 5612 रकबा 0.04 हेक्टर जो साबिक आराजी नं. 3678 मीन मिलान क्षेत्रफल अनुसार बनाया गया है जो कि गलत है क्योंकि 3678 मीन आराजी 8 बिस्वा का था जिसके नये नम्बर 5611 रकबा 0. 08 हेक्टर तथा 5612 रकबा 0.04 हेक्टर कुलिया 0.12 हेक्टर भूमि बनना बताया दिया जबकि पूर्व खाते अनुसार आ.न. 3678 मीन 8 बिस्वा का है तो उसके नये सेटलमेन्ट के अनुसार आराजी नं. 5611 रकबा 0.08 हेक्टर बना है वहीं नम्बर सही है जबकि आराजी नं. 5612 रकबा 0.04 हेक्टर बनाया है जो गलत बनाया है क्योंकि मिलान क्षेत्रफल अनुसार आराजी नं. 3687 का नया कोई नम्बर नहीं बनाया गया है तथा प्रार्थी के खाते से भूमि 4 बिस्वा कम कर दी गई और विपक्षीगण के पूर्व खातेदार हेमराज के खाते 4 बिस्वा जमीन बढा दी जो बिना किसी वाजिब कारण के किया है तथा आराजी नं. 3687 रकबा 4 बिस्वा जो प्रार्थी के खाते में दर्ज था उसका नया नम्बर नहीं बनाकर प्रार्थी को क्षति पहुंचाई है तथा मौके पर आज भी प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है जो इन्द्राज दुरस्ती किया जाना आवश्यक है तथा प्रार्थी के खाते में कम हुई भूमि को जो वर्तमान में आराजी नं. 5612 रकबा 0.04 हे. बना है उक्त नम्बर प्रार्थी के खाते दर्ज कराकर प्रार्थी को उसका स्वामी घोषित किया जावे इसलिये यह घोषणा एवं इन्द्राज दुरस्ती का वाद पेश है।

विपक्षीगण के पूर्व खातेदार श्री हेमराज पिता शंकर जी भैयावत ब्राह्मण की मृत्यु पश्चात् उक्त भूमि उनके वारिसान पत्नी श्रीमती कैलाश बाई एवं श्रीमती सीमा बाई के खाते दर्ज हुई जिन्होंने विक्रय पत्र द्वारा रविशंकर पिता रामजी भीमावत को बेची जिन्होंने अपने दोनों पुत्रों विपक्षीगण को भूमि जरिये बक्षीश दी है, इस प्रकार भूमि विपक्षीगण के खाते वर्तमान में दर्ज है, जो आराजी नं. 5612 रकबा 0.04 हेक्टर विपक्षीगण के खाते गलत दर्ज हुई है जिसे दुरस्त कर पुनः प्रार्थी के खाते दर्ज किया जाना आवश्यक है। विपक्षीगण उक्त भूमि को आबादी रूपान्तरण कराकर भूमि की किस्म एवं स्वरूप को बदलने पर आमदा है इसलिये विपक्षीगण द्वारा तहसीलदार साहब सलुम्बर के यहां भू–रूपान्तरण करने के लिये पत्रावली प्रस्तुत कर दी है, यदि भूमि का रूपान्तरण हो जाता है तो प्रार्थी को अनेक वाद लाने पड़ेंगे जिससे प्रार्थी को भारी मानसिक व आर्थिक क्षति होगी तथा न्यायालय में बाद बहुलता बढेगी एवं प्रार्थी के साथ अन्याय होगा इसलिये प्रार्थी के पक्ष में एंव विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी का मामला प्रथम दृष्टया है,

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है तथा अपुरणिय क्षति होने का भय भी प्रार्थी को है इसलिये प्रार्थी के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि मुल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध निम्न आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे–

(क) कि मौझा ग्राम सेरिया पटवार हल्का सेरिया भू.अ.नि. सेरिया तह. सलुम्बर की वर्तमान आराजी नं. 5612 रकबा 0.04 हेक्टर भूमि का विपक्षीगण न तो स्वरूप बदले, ना ही किस्म बदले और ना ही भू–रूपान्तरण करावे और ना ही तहसीलदार साहब भू–रूपान्तरण की कोई कार्यवाही करावे।

(ख) यह कि आराजी नं. 5612 रकबा 0.04 हेक्टर भूमि से प्रार्थी को विपक्षीगण बेदखल नहीं करे और ना ही विपक्षीगण किसी प्रकार से कारतामीर करे और ना ही उसके स्वरूप एवं किस्म परिवर्तित करे।

(ग) यह कि अन्य कोई उचित दाद जो न्याय हित में प्रार्थी को दिलाई जा सके वह दिलाई जावे।

प्रार्थना पत्र जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलवी हेतु नोटिस जारी किया गया। आदेशिका दिनांक 16–06–2023 को प्रकरण मे प्रार्थी को एकपक्षी सुना जाकर प्रकरण मे अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारि की गइ। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल चौबीसा हाजिर आये। विपक्षीगण ने प्रारम्भिक आपत्ति करते हुए अंकित किया कि प्रार्थी के साबिक नम्बरो की खातेदारी में रकबा कुल खेत 17 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा है जिसके हाल आराजी नम्बर 1.07 हेक्टर बनता है, जिसमे 0.10 हेक्टर प्रार्थी के हाल खाते मेसे रकबा कम हुआ है, जो साबिक आराजी नम्बर 3681, 3684, 3685 जुज रकबा 0.20 बिस्वा बनता है, जिसके हाल आराजी 5601 रकबा 0.10 हेक्टर बना है। यह तथ्य प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष छुपाया है जो विलन हेण्ड से नही आया है जो प्रार्थी अपनी गलत प्लीडींग के आधार पर न्यायालय से विपक्षीगण 1, 2 के खाते से अन्य आराजीयात जो दुर है उनमे से गलत तरीके से हडपना चाहता है, जो अपने मसुंबे में कामयाब नहीं होगा न ही अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय से किसी खातेदार के खिलाफ प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी जब तक विकय पत्र एंवम बक्षीशनामा जो विपक्षीगण 1, 2 के पक्ष में पंजीकृत है उन्हे निरस्त कराये बगैर एंवम खातेदार के खिलाफ बिना कब्जे के अस्थाई निषेधाज्ञा किसी भी प्रकार का प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का विपक्षी संख्या 1 व 2 ने जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित जमाबन्दी में प्रार्थी के स्व. पिता रतनलाल पिता चोखचंद जी महाजन के खाते की कृषि भूमि जो प्रार्थना पत्र के साथ बताये दस्तावेज प्रार्थी ने पेश किये उसके अनुसार जो कृषि भूमि प्रार्थी के खाते की है जो उस कृषि भूमि से हम विपक्षीगण संख्या 01 व 02 का किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं है। प्रार्थी के साबिक आराजी के हाल आराजी नम्बर की कृषि भूमी का वर्णन निम्न प्रकार है। प्रार्थी के साबिक आराजी नम्बर की तुलना में हाल आराजी का रकबा बराबर है प्रार्थी का रकबा साबिक आराजी नम्बर की तुलना में न तो बढ़ा है न कम हुआ है, इसलिये प्रार्थी किसी प्रकार से इन प्रार्थना पत्र में प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 की खातेदारी की कृषि भूमी का दुरस्ती कराने का इस प्रार्थना पत्र में अधिकारी नहीं है।

प्रार्थी के खाते की सेटलमेन्ट विभाग ने पर्चा खतौनी या किसी प्रकार से प्रार्थी के आराजी नम्बर 3687 रकबा 0.04 हेक्टर भूमि कर दी है जिससे हम विपक्षीगण नम्बर 1 व 2 का इन प्रार्थी के आराजी से कोई लेना देना नहीं है, क्योकि अगर प्रार्थी का रकबा साबिक आराजी 3681 3684, 3685 तीनो जुज आराजीयात का साबिक रकबा 0.20 बिस्वा होता है

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

जो अभी हाल आराजी 5601 में रकबा 0. 10 हेक्टर अमीनो द्वारा किया गया हो तो उसी आराजीयात में प्रार्थी दुरस्त करा सकता है, लेकिन प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अपने कमी रकबे के तथ्य को छुपाया है जो क्लिन हेण्ड से नही आया है इस तरह प्रार्थी न्यायालय को गुमराह कर दुरस्ती कराने का अधिकारी नही है, विपक्षीगण नम्बर 1 व 2 के खाते के रकबे मेसे कम कराने का प्रार्थी अधिकारी नही है। प्रार्थी के कथनानुसार विपक्षीगण नम्बर 1 व 2 के पिता ने हेमराज जी भैयावत तड सोमावत सेरिया के खाते की भूमि में 4 बिस्वा बढ़ा दी। प्रार्थी के खाते कम नहीं हुई है बल्कि साबिक की तुलना में हाल रकबे में कोई अन्तर न रकबा बढ़ा है न कम हुआ है अगर जो रकबा कम हुआ है वो प्रार्थी के अन्य आराजी से हुआ है वो वही प्रार्थी कमी रकबे को जो जगह दुरस्त कराने का अधिकारी है और यह जगह वादग्रस्त स्थल से काफी दूर है एंवम दोनो के मध्य काफी आराजीयात है जो अन्य आराजी विपक्षी के साबिक नम्बर से बने हुए है। प्रार्थी का कथन सरासर मिथ्या है। प्रार्थी जबरन हम विपक्षीगण नम्बर 1 व 2 खाते की आराजी से रकबा मांगने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी क्लीन हेण्ड से नहीं आया है क्योंकि प्रार्थी साबिक आराजी नम्बर 3687 रकबा 0. 04 बिस्वा भूमि का नया नम्बर अपने प्रार्थना पत्र में नहीं होना बनना बता रहा है, बल्कि आराजी नम्बर 3681, 3684, 3685, 3686, 3687 जुज आराजी नम्बर जिसके हाल आराजी नम्बर 5604 रकबा 0.12 हे. जिसमें से प्रार्थी के आज भी मिलान क्षेत्रफल से आराजी नम्बर बने है। हाल आराजी नम्बर 5604 का आज भी प्रार्थी खातेदार है। प्रार्थी अपनी भूमि न्यायालय में मिथ्या तथ्य बताकर आराजी नम्बर 5612 आया है विपक्षीगण नम्बर 1 व 2 के खातेदारी मे भूमी आज भी खातेदारी और मौके पर न तो उक्त आराजी में प्रार्थी का कब्जा है न कभी रहा है जब भी भू– प्रबन्ध विभाग द्वारा पत्रक बनाए जो राजस्थान के कृषि भूमि पर काबिज थे, उनके कब्जे से नाम दर्ज चले आ रहे है, उन्ही के नाम खाते में दर्ज करते थे तथा विपक्षीगण नम्बर 1 व 2 का उनके पूर्व खातेदारों को भ्रमित कर जबरन निराधार रकबा बढ़ा हुआ देखकर मन में प्रार्थी के खोट आ गई और झुठ का सहारा लेकर घोषणा दुरस्ती कराने का हम विपक्षीगण 1 व 2 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है जो गलत है इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज काबिल है। अगर प्रार्थी की सेटलमेन्ट अधिकारी ने आराजी नम्बर 3682 रकबा 0.04 हेक्टर कम की है तो वो आराजी नम्बर 5604 रकबा 0.12 हेक्टर में से मांगने का अधिकारी है क्यों कि आराजी नरम्बर 3687 का मिलान क्षेत्रफल साबिक आराजी नम्बर 3681, 3684, 3685, 3686, 3687 जुज आराजी में इन नम्बरो में हाल आराजी नम्बर 5604 रकबा 0.12 हेक्टर में मांगने का अधिकारी है। हम विपक्षीगण संख्या 1 व 2 के खाते से नहीं मांग सकता है। विपक्षीगण नम्बर 1 व 2 के खाते आराजी नम्बर 5612 रकबा 0.12 में 0.04 हेक्टर में से नही मांग सकता है जो हम विपक्षीगण संख्या 1 व 2 के पूर्व खातेदार के खाते की थी, इसमे से भी नहीं मांग सकता है।

पूर्व खातेदार हेमराज के खाते में रकबा बढ़ा या कम हुआ इससे प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम विपक्षीगण के पूर्व खातेदार के साबिक आराजी नम्बर 3678 रकबा 0.08 हेक्टर का हाल आराजी नम्बर 5611, 5612 बना दिए है। जितना पहले नक्शे के अनुसार नम्बर थे उसी अनुसार आज भी मौके पर बैठे होकर काबिज है। अगर रकबा बढाया है तो समस्या विपक्षीगण नम्बर 1 व 2 की है। इसमे प्रार्थी का रकबा साबिक की तुलना में न तो बडा है न कम हुआ है आज भी रकबा प्रार्थी का बराबर है। इसलिय प्रार्थी दुरस्ती कराने का अधिकारी नही है जिसमे यह प्रार्थना पत्र काबिल निरस्त के है। वादग्रस्त तथाकथित प्रार्थी द्वारा बगेर आराजी 5612 रकबा 0.04 जो साबिक आराजी नम्बर 3678 के मिलान से बनाया है लेकिन इससे प्रार्थी को कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह आराजी साबिक नम्बर 3678 जो पूर्व खातेदार हेमराज जी के खाते था और इसमें प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है। राजस्व रेकार्ड में अगर विपक्षीगण संख्या 1 व 2 खाते में रकबा बढ़ा है तो विपक्षीगण नम्बर 1 व 2 को समस्या है इससे प्रार्थी का कोई मतलब नहीं क्योंकि प्रार्थी

के साबिक आराजी नम्बर 3687 का नया नम्बर नहीं बनना कहता है जो बिल्कुल गलत है बल्कि उक्त आराजी नम्बर 3687 के नम्बर 5604 रकबा 0.12 हेक्टर है जो प्रार्थी के खाते है एंवम साबिक आराजी नम्बर 3681, 3684, 3885 का रकबा 0.20 बिस्वा की जगह हाल आराजी नम्बर 5601 में 0.10 हेक्टर कम हुआ है जो इसमें मांगने का अधिकारी नहीं है जहाँ उसका रकबा स्वंय के साबिक नम्बरो में कम हुआ है। लेकिन प्रार्थी साबिक के आराजी का मिलान नम्बर नहीं होना बताकर सफेद झूठ की आड में हमारे से खातेदारी आराजी नम्बर 5612 रकबा 0.04 हेक्टर नहीं ले सकता है न ही प्रार्थना पत्र घोषणा, दुरस्ती स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है जो प्रार्थना पत्र प्रार्थी का अवश्य खारिज के काबिज है क्यों कि पुरानी साबिक नक्शा में से हाल नक्शा में दो टुकडे कर दिये जाते है तो रकबा बढ़ा दिया है तो इससे प्रार्थी का कोई मतलब नही जितना पहले साबिक नम्बरो मे प्रार्थी का पुराना कब्जा था उतने में ही आज भी हम विपक्षीगण नम्बर 1 व 2 का मौके पर हेमराज जी के समय से आज तक काबिज चले आ रहे है।

पूर्व खातेदार हेमराज जी की मृत्यु के बाद कैलाश बाई सीमा बाई के खाते दर्ज हुई, उन्होने विकय पत्र द्वारा रविशंकर जी को बेची उन्होंने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बक्षीश की है जिसमे हम विपक्षीगण नम्बर 1 व 2 खातेदार है, लेकिन आराजी नम्बर 5612 रकबा 0.04 हेक्टर विपक्षीगण 1 व 2 के सही खाते है जिसको प्रार्थी इन नम्बरो को खाते दुरस्त घोषणा का अधिकारी नहीं है क्योंकि उक्त हाल आराजी नम्बर 5612, 5611 का साविक आराजी नम्बर 3678 का कभी भी प्रार्थी खातेदार नहीं था। प्रार्थी का मौके पर कब्जा नहीं है तथा मौके पर आज भी विगत 50–60 वर्षो से पूर्व भी विपक्षीगण 1 व 2 के पूर्व खातेदार हेमराज जी के समय से कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी का किसी प्रकार से प्रथम दुष्टया मामला एंव सुविधा सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का मामला नहीं बनता है, बल्कि प्रथम दुष्टया, सुविधा सन्तुलन एंवम अपूरणीय क्षति विपक्षीगण 1 व 2 की हो रही है। इसलिये प्रार्थी किसी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर विपक्षीगण को हर्जा खर्चा का व्यय न्यायहित में दिलावाया जावें ।

प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार सरकार तहसीलदार सलूम्बर ने अपने जवाब मे अंकित किया कि वाद की कालम संख्या 04 में रिकार्ड अनुसार साबिक आ.न. 3678 का रकबा 8 बिस्वा था मिलान क्षेत्रफल अनुसार 3678 से 5611 रकबा 0.08, 5612 रकबा 0.04 कुल किता 02 रकबा 0.12 हेक्टयर बने है। साबिक आ.न. 3678 रकबा 8 बिस्वा के मुकाबले 0. 12 है. रकबा दर्ज है। साबिक आ.न. 3681 रकबा 3 बिस्वा वादी के खातेदारी भूमि के रूप में भू–प्रबन्ध के पूर्व से दर्ज था। साबिक आ.न. 3681 के नक्शे अनुसार वर्तमान आ.न. 5602 रकबा 0.01, 5603 रकबा 0.03 साबिक आ.न. 3681 से बनना प्रतीत होता है परन्तु भू–प्रबंध मिलान क्षेत्रफल अनुसार आ.न. 5602 रकचा 0.01 5603 रकबा 0.02 साबिक आ.न. 3680 से बनाये गयें है।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वादी का कथन है कि ग्राम सेरिया स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 3687 उसके पूर्वजों के नाम दर्ज थी तथा सेटलमेंट के दौरान उक्त भूमि को गलत तरीके से वादी के खाते से हटाकर प्रतिवादियों के खाते में दर्ज कर दिया गया है। प्रार्थी मौके पर काबिज है तथा विपक्षीगण भूमि का स्वरूप बदलने एवं कब्जा हटाने का प्रयास कर रहे हैं।

विपक्षीगण द्वारा इसका विरोध करते हुए कहा गया है कि प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है, सेटलमेंट प्रविष्टियाँ विधिसम्मत हैं तथा भूमि पर उनका वैध अधिकार एवं नामांतरण आधारित कब्जा है। वादी का कुल रकबा साबिक एवं हाल रिकॉर्ड में लगभग बराबर है,

उपखण्ड अधिकारी / अतिरिक्त जिला कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

इसलिए उसके खाते से भूमि कम नहीं हुई। यदि कहीं कमी हुई भी है तो वह प्रार्थी की अन्य आराजियों में हुई है, न कि विपक्षीगण की आराजी नं. 5612 में। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस मनन की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजता एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि विवाद मुख्य रूप से राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टियों एवं साबिक तथा वर्तमान आराजियों के मिलान से संबंधित है, जिसके लिए विस्तृत साक्ष्य एवं परीक्षण अपेक्षित है। वर्तमान राजस्व अभिलेखों में विवादित भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होना प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है। वादी द्वारा ऐसा कोई स्पष्ट एवं निर्विवाद दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि वर्तमान में विवादित भूमि पर उसका विधिसम्मत एवं निर्विवाद कब्जा स्थापित है।

अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने हेतु आवश्यक तत्वों–प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का परीक्षण करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी इन तीनों तत्वों को संतोषजनक रूप से स्थापित करने में असफल रहा है। वर्तमान अभिलेखों के अनुसार सुविधा संतुलन विपक्षीगण के पक्ष में प्रतीत होता है तथा वाद का अंतिम निर्णय होने पर यदि आवश्यक हुआ तो राजस्व अभिलेखों में विधिसम्मत संशोधन किया जा सकता है। अतः इस स्तर पर यह नहीं माना जा सकता कि वादी को ऐसी अपूरणीय क्षति होने की संभावना है जिसकी प्रतिपूर्ति अंतिम निर्णय द्वारा संभव न हो।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पूर्व में पारित अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश भी निरस्त किया जाता है।

निर्णय दिनांक 19/05/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला–सलूम्बर
जिला सलूम्बर